कार्यालय – जिलाधिकारी, कानपुर नगर

पत्रॉक :- 04 /कोविड–19/मत्स्य/2020–21 दिनॉक :- 21 .04.2020

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 11/2020/452(1)/सत्रह–म–2020–कोविड–19–6–9(79)/17 दिनॉक 15.04.2020 के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) की रोकथाम के प्रभावी लाक डाउन अवधि में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार आदि की विक्री एवं उनके यातायात एवं उनके मत्स्य आखेट प्रबन्धन सम्बन्धी गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है।

अतः जनपद कानपुर नगर में कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रभावी लाक डाउन अवधि में मत्स्य उत्पाद, मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार आदि की विक्री एवं उनके यातायात एवं उनके मत्स्य आखेट प्रबन्धन सम्बन्धी गतिविधियों को लाक डाउन प्रतिबन्धों से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के दौरान कोविड–19 महामारी के संक्रमण के बचाव हेतु उक्त अवधि में सोशल डिस्टेन्सिग के निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाये एवं मास्क लगाना अनिवार्य है। अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने पर भारतीय दण्ड विधान के सुसंगत धराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी साथ ही जनपद कानपुर नगर में कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत हॉट स्पॉट क्षेत्रों एवं बफर जोन के अन्तर्गत उक्त गतिविधि लाक डाउन अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।

(डा0 ब्रह्मदेव राम तिवारी)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर

पत्रॉक :- 04 /कोविड–19/मत्स्य/2020–21 दिनॉक :- 21 .04.2020

प्रतिलिपि –निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक सूचना निदेशक, कानपुर नगर को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ कानपुर नगर।
2. सहायक निदेशक मत्स्य कानपुर नगर।
3. समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत कानपुर नगर।
4. समस्त उप जिलधिकारी, कानपुर नगर।
5. उप निदेशक मत्स्य कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. अपर जिलाधिकारी प्रशासन कानपुर नगर।
7. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
8. पुलिस अधिक्षक कानपुर नगर।
9. निदेशक मत्स्य उ0प्र0लखनऊ।

(डा0 ब्रह्मदेव राम तिवारी)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर

Scanned with CamScanner